न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2015 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जहाजपुर बनाम

1. श्री महावीर पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
2. श्री गणेश पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
3. श्री मनफूल पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
4. गीता पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
5. मंजू पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
6. शान्ति पिता रामप्रसाद ब्राह्मण
7. प्रेम बेवा रामप्रसाद ब्राह्मण
8. प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण

सभी निवासीयान इन्दोकिया तहसील जहाजपुर

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

प्रार्थी तहसीलदार, जहाजपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि मोजा इन्दोकिया तहसील जहाजपुर में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 1982 के अनुसार आराजी सं. 552/2, 589/2 किता 2 रकबा 6.01 श्री चारभुजा स्थान देह सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम इन्दोकिया का बन्दोबस्त संवत् 2016 में हुआ उस दौरान बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 305 रकबा 6.03 व 504 रकबा 1.15 महावीर, गणेश पिता रामप्रसाद, मनफूल, मंजू, गीता, शान्ति पुत्री रामप्रसाद , प्रेम बेवा रामप्रसाद 1/2 प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण 1/2 ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड किये गये। पूर्व बन्दोबस्ती जमाबन्दी नकल संवत् 1982 तक स्पष्ट है कि यह भूमि देव स्थान श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी

जो नवीन बन्दोबस्त में उक्तानुसार दर्ज नही करके अन्य के नाम अर्थात प्रतिवादीगण सं. 01 से 08 के नाम इन्द्राज कर दी गयी जो विधि संगत नही है। वर्तमान चालू जमाबन्दी 2069–72 के खाता सं. 242 के सिकमी काश्तकारों के वारिसों के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि मूलतः मन्दिर/देवस्थान की है जिसे सदेव नाबालिग माना गया है। जिसका किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी भी अधिकारों के द्वारा अन्य व्यक्ति के नाम रद्दोबदल नही किया जा सकता है। देवस्थान मन्दिर की भूमि पुजारी के नाम होने से उत्तरोत्तर उत्तराधिकार से वारिसान के नाम हो गयी है। अतः निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुजारी के नाम देवस्थान की भूमि आराजी सं. 305 व 504 रकबा क्रमशः 6.03, 1.15 किता 02 को पुजारी के नाम से हटाया जाकर पुनः मंदिर / देवस्थान चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज इन्द्राज किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2015 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 13.03.2019 को प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि जमाबन्दी महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर संवत् 1982 अनुसार आराजी सं. 552/2 एवं 589/2 किता 2 रकबा 6.01 श्री चारभुजा जी स्थान देह लक्ष्मीनारायण वल्द रामचन्द्र ब्राह्मण सा.देह पुजारी के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य संवत् 2022 से 2041 ग्राम इन्दोकिया अनुसार खसरा नम्बर 305 रकबा 6.03 व खसरा नम्बर 504 रकबा 1.15 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा श्री चारभुजा जी स्थान देह के बजाय रामप्रसाद, रामस्वरूप, प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण सा. देह के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड कर दिया गया।

ग्राम इन्दोकिया का मिलान खसरा संवत् 2015 से 2016 अनुसार साबिक खसरा नम्बर 589/2 जिसके नये खसरा नम्बर 305 रकबा 6.03 व साबिक खसरा नं. 552/2 जिसके नये खसरा नम्बर 504 रकबा 1.15 बने है। जिसमें भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भी रामप्रसाद, रामस्वरूप, प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड किया गया।

नामान्तरकरण सं. 760 से श्री चारभुजा जी स्थान देह की उक्त आराजी को रामप्रसाद व रामस्वरूप ब्राह्मण की विरासतन प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण 1/2, महावीर, गणेश पिता रामप्रसाद, मनफूल, मंजू, गीता, शान्ति पुत्री रामप्रसाद, प्रेम बेवा रामप्रसाद ब्राह्मण हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गयी।

जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 में खसरा नं. 305 रकबा 6.03 व 504 रकबा 1.15 महावीर, गणेश पिता रामप्रसाद, मनफूल,मंजू, गीता, शान्ति पुत्री रामप्रसाद, प्रेम बेवा रामप्रसाद ब्राह्मण हिस्सा 1/2, प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण 1/2 ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।

जमाबन्दी संवत् 2069–2072 में खसरा नं. 305 रकबा 6.03 व 504 रकबा 1.15 महावीर, गणेश पिता रामप्रसाद, मनफूल,मंजू, गीता, शान्ति पुत्री रामप्रसाद, प्रेम बेवा रामप्रसाद ब्राह्मण हिस्सा 1/2, प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण 1/2 ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर संवत् 1982 अनुसार आराजी सं. 552/2 एवं 589/2 किता 2 रकबा 6.01 श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, जहाजपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम इन्दोकिया के साबिक खसरा नम्बर 552/2, 589/2 कीता 2 रकबा 6.01 बीघा भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह पुजारी लक्ष्मीनारायण पिता रामचन्द्र ब्राह्मण साकिन देह के नाम महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी संवत् 1982 एवं राजस्थान सरकार की जमाबन्दी सवंत् 2021 से 2024 की में दर्ज रिकार्ड थी। जिसे भूप्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य द्वारा संवत् 2022 से 2041 में श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम हटाकर रामप्रसाद, रामस्वरूप, प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण साकिन देह के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। इसके पश्चात् उक्त भूमि विरासतन प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण 1/2, महावीर, गणेश पिता रामप्रसाद, मनफूल, मंजू, गीता, शान्ति पुत्री रामप्रसाद, प्रेम बेवा रामप्रसाद ब्राह्मण हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इस प्रकार ग्राम इन्दोकिया के साबिक खसरा नम्बर 552/2, 589/2 कीता 2 रकबा 6.01 बीघा के हाल नम्बर 305 रकबा 6.03 व खसरा नम्बर 504 रकबा 1.15 किता 02 रकबा 7.18 जो श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुजारी के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षीगण के नाम से हटाया जाकर श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)